

न्यायालय परगनाधिकारी अकबरपुर कानपुरदेहात।

वाद सं०-10

अन्तर्गत घाटा 143 ज०वि०अ०वि० अगिनियम

ग्राम - बारा परगना व तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

प्रभात स्त्रुक्शेन ट्रस्ट

वाम

सरकार

नम्बर निर्णय 24/1/20



प्रस्तुत वाद प्रभास चन्द्र कुशेल पुत्र स्व० मन्नु लाल कुशेल प्रबन्धक प्रभात स्त्रुक्शेन ट्रस्ट नि० रजि० आधिकारी जी०-23 पत्नी इण्डस्ट्रियल सरिया बाइट-1 कानपुर नगर द्वारा घाटा 143 ज०वि०अ०वि० के अन्तर्गत इसआशय से योति किया गया है कि आराजीस० 140ड रकबा 0-390 हे० व 121ग रकबा 0-072 हे० व 140ड रकबा 0-2350 हे० व 121ग रकबा 1-772 हे० कुल चार कित्ता रकबा 2-469 हे० लगानी 54-87 रु० स्थित ग्राम बारा का वादी संक्रमणीय भूमिधार मा लिक स्वामी का बिज एवं दखील है। उक्त आराजी पर कृषि कार्य न होकर उक्त संस्था स्थापित करने हेतु निर्माण कार्य चल रहा है उपरोक्त संस्था स्थापित करने में किसी ऐसे उपकरण का उपयोग नहीं किया जायेगा जिसे आस पास का वातावरण हानित हो। एवं वहां के आस पास की जनता को कोई भी असुविधा हो। अन्त में अकृषिभूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

पुनर्गत प्रकरण की जांच नाथ तहसीलदार मजनेर से करायी गयी। लेखपाल/ ना० तह० मजनेर की आज्ञा दिनांक 24-12-07 प्राप्त हुयी। उल्लिखित जांच आख्या में उपरोक्त गाटा पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है गाटा सं० 121ग पर एक पक्का कमरा तथा शैल रकबे पर बाउन्ड्रीवाल निर्माणाधीन है। उपरोक्त कृष की भूमि पर इन्जीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु बाउन्ड्री बनाने का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है अतः उपरोक्त आराजी को अकृषि भूमि घोषित किये जाने की संशुक्ति सहित आज्ञा प्रेषित की है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिकारी के तर्कों को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल / ना० तह० की जांच आज्ञा दिनांक 24-12-2007 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य न होकर इन्जीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु बाउन्ड्रीवाल बनायी जा रही है। अतः कृषि कार्य न होने के कारण उक्त आराजी को अकृषि भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है।

आदेश

अतः आराजी स्थित ग्राम बारा की गाटा सं० 140ड रकबा 0-390 हे० व 121गरकबा 0-072 हे० व 140ड रकबा 0-235 हे० व 121ग रकबा 1-772 हे० कुल चार कित्ता रकबा 2-469 हे० लगानी 54-87 रु० को अकृषिभूमि - घोषित किया जाता है। उक्त भूमि लगान से मुक्त की जाती है। तदनुसार प्रख्यापन पत्र जारी हो। पत्रावली बाव आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तरहो।
दिनांक-24/1/20

24/1/20
§ 20 के० अवस्थी §

परगनाधिकारी अकबरपुर
कानपुर देहात।


आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर कुं न्यायालय में उद्योगित किया गया।

दिनांक 24/1/20



24/1/20
§ 20 के० अवस्थी §

परगनाधिकारी अकबरपुर
कानपुर देहात।



न्यायालय परगनाधिकारी अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

वाट सं०-10

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम

ग्राम - बारा, परगना व तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट

बनाम

सरकार

प्रख्यापन पत्र

1- धारा जिसके अधीन प्रख्यापन निर्गत :- धारा 143 ज०वि०अधिनियम किया गया।

2- खातेदार का नाम पितृ नाम व :- प्रभास चन्द्र कुरेले पुत्र स्व० मुन्नुलाल कुरेले प्रबन्धक प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट नि० रजि० आफिस जी०-23 पनकी इण्डस्ट्रियल सरिया साइट-1 कानपुर नगर।

3- नाम ग्राम व परगना जहाँ गाटे :- ग्राम बारा परगना व तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात। स्थित है।

4- गाटा सं० रकबा जिसका प्रख्यापन :- गाटा सं० 140डं. रकबा 0.390 हे० व 121घ रकबा 0.072 हे०, व 140डं. रकबा 0.235 हे० व 121ग रकबा - 1.772 हे० कुल 4 किता रकबा 2.469 हे० लगान 54.87 रुपये।

दिनांक:-

[Handwritten Signature]

§ २० के० अवस्थी §
परगनाधिकारी
अकबरपुर कानपुर देहात।

प्रतिलिप :- 1- तहसीलदार अकबरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु 2

2- उपनिबन्धक अकबरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- श्री प्रभासचन्द्र कुरेले पुत्र स्व० मुन्नु लाल कुरेले प्रबन्धक प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट नि० रजि० आफिस जी०-23 पनकी इण्डस्ट्रियल सरिया साइट-1 कानपुर नगर को सूचनाार्थ

दिनांक:-

[Handwritten Signature]



§ २० के० अवस्थी §
परगनाधिकारी
अकबरपुर कानपुर देहात।

न्यायालय परगनाधिकारी अकबरपुर कानपुर देहात।

वाद सं० - १

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम

ग्राम - बारा, परगना व तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट

बनाम

सरकार

नकल निर्णय दि० 24/1/20



प्रस्तुत वाद प्रभासचन्द्र कुरेले पुत्र स्व० मन्नु लाल कुरेले प्रबन्धक प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट नि० रजि० आम्सि जी०-23 पन्की इण्डस्ट्रियल एरिया साइट-1 कानपुर नगर द्वारा धारा 143 ज०वि०अधिनियम के अन्तर्गत इसआवक से योजित किया गया है कि आराजी सं० 123 ग रकबा 0.8190 हे०, 138/0.5120 हे० 138/0.5120 हे०, 138/0.0820 हे० 139/0.215 हे० कुल पांच कित्ता रकबा 2.1400 हे० लगानी 71.78 स्थित ग्राम बारा का वादी संकुमपीय भूमिधर मालिक स्वामी का बिज व टकील है उक्त आराजी पर कृषि कार्य न होकर उक्त संस्था स्थापित करने हेतु निर्माण कार्य चल रहा है। उपरोक्त संस्था स्थापित करने में किसी ऐसे उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे आस पास का वातावरण प्रदूषित हो। एवं वहाँ के अस पास की जनता को कोई भी असुविधा हो। अतः अन्त में अकृषि भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रसंगत प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार गजनेर से करायी गयी। लेखाल/ ना० तह० गजनेर की आख्या दिनांक 19-12-07 प्राप्त हुयी। उल्लिखित जांच आख्या में उपरोक्त आराजी पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है गाटा सं० 138 पर एक पक्का कमरा तथा यहाँ रकबे पर बाउन्ड्रीवाल बनाने का कार्य निर्माणाधीन है उपरोक्त कृष की गयी भूमि पर इन्जीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु बाउन्ड्री बनाने का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है अतः उपरोक्त आराजी को अकृषि भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध लेखाल/ नायब तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 19-12-2007 से स्पष्ट है कि आराजी पर कृषि कार्य न होकर इन्जीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु बाउन्ड्रीबन्ध बनायी जा रही है अतः कृषि कार्य न होने के कारण उक्त आराजी को अकृषि भूमि - घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है।

आदेश

अतः आराजी स्थित ग्राम बारा की गाटा सं० 123 ग रकबा 0.819 हे०, 138/0.512 हे० 138/0.512 हे०, 138/0.0820 हे०, 139/0.215 हे० कुल पांच कित्ता रकबा 2.140 हे० लगानी 71.78 रुपये को अकृषि भूमि घोषित किया जाता है। उक्त भूमि लगान से मुक्त की जाती है। तदनुसार प्रख्यापन पत्र जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 24/1/20




दि० 24/1/20
४ २० के अधीनी
परगनाधिकारी अकबरपुर
कानपुर देहात

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर जो न्यायालय में उपस्थित किया गया।

दिनांक 24/1/20

दि० 24/1/20
४ २० के अधीनी
परगनाधिकारी अकबरपुर
कानपुर देहात।



न्यायालयपरगनाधिकारी अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

वाद सं० - १ अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० अधिनियम

ग्राम - बारा, परगना व तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट

बनाम

सरकार

पृथ्यावन पत्र

=====

1- धारा जिसके अधीन पृथ्यावन निर्गत :- धारा 143 ज० वि० अधिनियम
किया गया।

2- खातेदार का नाम पितृ नाम व - :- प्रभासचन्द्र कुरेले पुत्र स्व० मुन्नुलाल
निवास स्थान। कुरेले प्रबन्धक प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट
नि० रजि० आफिस जी० 23 पनकी
ई इण्डस्ट्रियल एरिया साइट-1 कानपुर नगर।

3- नाम ग्राम व परगना जहां गाटे- :- ग्राम बारा परगना व तहसील-
स्थित है। अकबरपुर कानपुर देहात।

4- गाटा सं० रकबा जिसका पृथ्यावन :- गाटा सं० 123 व रकबा 0.819 हे०
किया गया। 138/0.512 हे०, 138/0.512 हे०,
138/0.082 हे०, 139/0.215 हे०
कुल पांच किता रकबा 2.140 हे०
लगान 71.78 रुपये।

दिनांक:-

[Handwritten Signature]

§ ए० के अवस्थी §
परगनाधिकारी
अकबरपुर कानपुर देहात।

प्रतिलिप :- 1- तहसीलदार अकबरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- उपनिबन्धक अकबरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- श्री प्रभास चन्द्र कुरेले पुत्र स्व० मुन्नु लाल कुरेले प्रबन्धक प्रभात
एजुकेशनल ट्रस्ट नि० रजि० आफिस जी० 23 पनकी इण्डस्ट्रियल
एरिया साइट-1 कानपुर नगर को सूचनाार्थ

दिनांक:-

[Handwritten Signature]



§ ए० के अवस्थी §
परगनाधिकारी
अकबरपुर कानपुर देहात।

न्यायपालिका सहायक सी.एस.डी. के.डी. उपविभागाधिकारी अजयपुर, जयपुर जिला ।
 काब. सं- 4 अन्वयित धारा 143 कठिण अधिनियम ।
 ग्राम- धारा तहसील अजयपुर जिला जयपुर जिला ।

प्रधान सचिव/सहायक सचिव विभाग संस्थान जयपुर राजस्थान सरकार ।

प्रस्तावना

- | | |
|---|---|
| 1- धारा किराये अधीन प्रस्तावना निर्दिष्ट किया गया । | धारा 143 कठिण अधिनियम । |
| 2- आदेशकार का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान । | प्रधान सचिव/सहायक सचिव द्वारा प्रस्तावना मातलुबपुरी पुत्र मुन्नालाल कुरी नि- पी-23 ताड़क-। पत्नी इन्दिरा देवी जयपुर नगर । |
| 3- नाम ग्राम व परतला कहां गाटा स्थित है । | ग्राम धारा तहसील व परतला अजयपुर जिला जयपुर जिला । |
| 4- गाटा क्षेत्रीय व रकबा विवरण प्रस्तावना किताब में । | गाटा सं 1067 गाटा सं 10133 रकबा 0.297 हे. व गाटा सं 121 व रकबा 0.410 हे.का पूर्ण ज्ञान । |


दिनांक- 7-12-24

। एस.डी.ओ. मुका ।
 सहायक/सचिव/उपविभागाधिकारी
 अजयपुर, जयपुर जिला ।

- प्रतिक्रिया:-
- 1- तहसीलदार अजयपुर को आवश्यक कार्रवाही हेतु ।
 - 2- उपनिषन्धक अजयपुर को आवश्यक कार्रवाही हेतु ।
 - 3- तहसीलदार/गादी को सूचनाएं ।

दिनांक- 7-12-24

। एस.डी.ओ. मुका ।
 सहायक/सचिव/उपविभागाधिकारी
 अजयपुर-जयपुर जिला ।



न्यायालय सहायक क्लेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी अकबरपुर, कानपुर देहात
वाद सं०- 4 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० अधिनियम ।

ग्राम- बारा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात ।

प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट शिक्षण संस्थान बनाम राज्य सरकार ।

निर्णय

प्रशनगत प्रकरण में प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक प्रभासचन्द्र कुरेले मुन्नुलाल कुरेले नि० जी-23 साइट-1 पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया कानपुर नगर ने इस आशय का प्रार्थना पत्र व शपथपत्र दिनांक 2-7-2009 को प्रस्तुत करते निवेदन किया है कि प्रार्थी ने ग्राम बारा की कृषि आराजी गाटा संख्या रकबा 0.297 हे० व गाटा सं० 121 इ/रकबा 0.410 हे० भूमि का प्रार्थी संक्रम भूमिधर है जिसमें बाउण्ड्रीवाल का निर्माण चल रहा है तथा उपरोक्त आराजी शिक्षण संस्थान का निर्माण हो चुका है जिसमें शिक्षण कार्य चल रहा है उपरोक्त भूमि अकृषिक है कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है और अब उपरोक्त भूमि का प्रयोजन हेतु नहीं है अन्त में उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान माफ किये जाने की याचना की गई है जिसमें तहसीलदार अकबरपुर से आख्या मंगाई गई । राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 5-10-09 व तहसीलदार की आख्या दि० 13-11-09 प्रस्तुत करते हुए कहा है कि गाटा सं० 133/0- व गाटा सं० 121 इ/0.410 हे० भूमि वर्तमान में परती है गाटा सं० 133 पर इन्जीनियरिंग कालेज व बाउण्ड्री बाल बनी हुई है भूमि अकृषिक है किसी ने आपत्ति नहीं किया है ।

मैंने उपरोक्त पत्रावली का अक्लॉक किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रा०नि० अकबरपुर की आख्या दि० 5-10-09 जिसे तहसीलदार अकबरपुर ने दि० 13-11-09 को अग्रसारित किया है अतः रा०नि० अकबरपुर की आख्या तहसीलदार की आख्या दिनांक 13-11-09 की पुष्टि करते उपरोक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है ।

आदेश

अतः उक्त वाद में रा०नि० की आख्या दि० 5-10-09 व तहसीलदार की आख्या दिनांक 13-11-09 की पुष्टि करते हुए ग्राम बारा की आराजी गाटा सं० 133/0.297 व 121 इ/0.410 हे० भूमि को अकृषिक घोषित करते लगान माफ किया जाता है । प्रख्यापन पत्र जारी हो । पत्रावली वाद अमल-द आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जाय ।

दिनांक- 7-12-2009


सहायक क्लेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी
अकबरपुर, कानपुर देहात ।

PREPARED BY
COMPARED BY

TRUE COPY.

Sh. S. S. M.

Handwritten notes in the left margin, including the name 'Sh. S. S. M.' and other illegible scribbles.



Handwritten notes at the bottom left, including the name 'Sh. S. S. M.' and other illegible scribbles.